रोचक तथ्य

भारतीय संविधान में किसी भी जगह बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वित्तीय वर्ष के लिए आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने का जिक्र है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलेगी आर्थिक मदद

किसानों को पहली किस्त 31 मार्च तक : राधामोहन

ऐलान

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की पहली किश्त आगामी 31 मार्च से पहले उनके खातों में पहुंच जाएगी। किसानों को खेती के संकट से उबारने के लिए सरकार की ऐतिहासिक पहल है। पीएम-किसान नामक आर्थिक सहायता किसानों को प्रत्येक चार माह में दो हजार रुपये के रूप में दी जाएगी।

अंतरिम बजट पेश होने के बाद कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने पत्रकारों को बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पाद की गिरती कीमतों के चलते किसानों की आय कम हो गई है। फसल की बुवाई से पहले किसानों को बीज, उर्वरक, उपकरण, श्रम आदि के लिए सरकार आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। इससे किसान साहूकारों के कर्ज के चंगुल में नहीं फंसेंगे। दो हेक्टेयर तक खेती वाले किसानों को सालाना छह हजार रुपये आर्थिक सहायता के रूप में मदद की जाएगी। इससे देश के 12.5 करोड़ छोटे-सीमांत किसान परिवारों को फायदा होगा। यह योजना एक दिसंबर 2018 से लागू की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पीएम-किसान योजना मद में 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

यह अतिरिक्त सहायता होगी : पहले से जो राज्य सरकारें किसानों को आर्थिक सहायता दे दी हैं केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता उसके अतिरिक्त होगी। सरकार ने 2019-20 के लिए कृषि मंत्रायल को एक लाख 41 हजार 174 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के तहत पहली बार देसी गाय-भैंस आनुवांशिक सुधार के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे देश में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

आयोग देसी गायों और गोवंश के कल्याण, उनत संरक्षण व प्रबंधन पर काम किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए उपलब्ध होगा। इसमें समय पर कर्ज अदा करने वाले किसानों को तीन लाख रुपये 4 फीसदी के ब्याज दर पर मुहैया कराया जाएगा।

यूपी के सवा दो करोड़ किसानों को सीधे फायदा

लखनऊ। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि अंतरिम बजट में किसानों के लिए लाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत यूपी के दो करोड़ 35 लाख लघु व सीमांत किसानों को सीधे फायदा मिलेगा। पूरे देश में साढ़े बारह करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। राधामोहन सिंह शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसानों के सशक्तीकरण यह योजना लाई गई है। सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना का काम शुरू किया गया है। गोवंश के संरक्षण के लिए बजट बढ़ाया गया है।

न्यूनतम आय गारंटी का जवाब है किसानों को सौगात

नई दिल्ली | पंकज कुमार पाण्डेय

किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपये देने की घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्यूनतम आय गारंटी योजना का जवाब है?

विशेषज्ञों का मानना है कि आम चुनाव सिर पर है, इसलिए अंतरिम बजट में की गई घोषणाओं को केंद्र में आम मतदाता ही है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रतिमाह न्यूनतम आय गारंटी का ऐलान किया है। किसानों की कर्जमाफी का ऐलान तीन राज्यों में जीत के बाद कांग्रेस की सरकारें कर चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार पर भारी दबाव था कि वह आम मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ अहम घोषणाएं करे। जानकारों का कहना है कि अलग-अलग घोषणाओं के माध्यम से करीब 90 फीसदी लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई है। चाहे वह किसान हों या पांच लाख की कर-छूट के दायरे में आने वाले नौकरीपेशा। असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन का लाभ और कम आमदनी वालों के लिए बोनस की घोषणा, यह सभी ऐसे वर्ग के लिए है, जिनकी उपेक्षा का आरोप सरकार पर लगता रहा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा संभवतः मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह तक होगी।

> सरकार ने लोक-लुभावन घोषणाएं की हैं, पर खजाना नहीं लुटाया है। जीएसटी का एक माह का संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। जबकि किसानों के खाते में पैसा भेजने की योजना पर कुल खर्च का अनुमान 75 हजार करोड़ का है। केंद्र ने अपना खाका लोगों के सामने पेश कर दिया है अब वह कांग्रेस से सवाल कर सकती है कि वह अपनी घोषणाओं का आधार पेश करे। —प्रमोद राय, पूर्व आईआरएस

सरकार ने इसके ठीक पहले तक किसानों के खाते में धनराशि भेजने की समय-सीमा निर्धारित कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव के पहले जमीन पर सरकार के ऐलान को उतारना कठिन चुनौती है। जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की चुनावी हार के बाद ही केंद्र ने यह सबक लिया था कि अब वह कठोर फैसलों की खुराक से हटकर मरहम लगाने वाले फैसलों का ऐलान करना होगा। नोटबंदी, जीएसटी आदि फैसलों से कथित तौर पर नुकसान की भरपाई को जो मांग भाजपा काडर में हो रही थी, उसकी भरपाई बजट में करने का प्रयास किया गया है।

प्राकृतिक आपदा के मारे किसानों को भी राहत

नई दिल्ली। कृषि क्षेत्र में संकट से निपटने के लिए वित्तमंत्री ने शुक्रवार को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए 2% की ब्याज सहायता की घोषणा की। जबकि समय पर ऋण भुगतान के लिए उन्हें तीन प्रतिशत अधिक सहायता की पेशकश की गई है।

गोयल ने पशुपालन व मत्स्य पालन में लगे किसानों के लिए भी दो प्रतिशत की ब्याज सहायता की घोषणा की। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार पशुपालन व मछली पालन की मदद करने के लिए 750 करोड़ की सहायता देगी। केंद्र ने 22 अधिसूचित फसलों को उत्पादन की लागत से 50 प्रतिशत अधिक मूल्य पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है।

मनरेगा, स्मार्ट सिटी का बजट बढ़ा

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

मनरेगा, स्मार्ट सिटी, मेट्रो जैसी मोदी सरकार की कई अहम परियोजनाओं के लिए अंतरिम बजट में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि नमामि गंगे, स्वच्छ भारत व प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कुछ योजनाओं में बड़ी कटौती भी की गई है।

नमामि गंगे के लिए 750 करोड़

नमामि गंगे के बजट में भारी कमी आई है। बीते साल उसे 2300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जबकि इस साल 2019-20 के लिए 750 करोड़ रुपये दिए गए हैं। हालांकि नमामि गंगे के लिए पहले से ही बीस हजार करोड़ का कोष आवंटित है, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति व नीली क्रांति के लिए बजट आवंटनों में भी कमी की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट 1652 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगभग पांच हजार करोड़ रुपये कम आवंटित हुए हैं। मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यूरिया सब्सिडी, फसल बीमा योजना के बजट भी बढ़े हैं। वहीं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए भी लगभग सात हजार करोड़ ज्यादा आवंटन किए गए हैं।

मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़

योजना	2018-19	2019-20
मनरेगा	5000	60000
अमृत व स्मार्ट सिटी	12169	13900
मेट्रो	14265	17714
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	16478	29500

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

बजट के खिलाफ कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली। संसद में शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इसे निरस्त करने की अपील की गई।

अधिवक्ता मनोहरलाल शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि संविधान के तहत, पूर्ण वार्षिक बजट व लेखानुदान पेश करने का प्रावधान है। लेखानुदान चुनावी वर्ष में सीमित अवधि के लिए सरकारी खर्च को मंजूरी देने के लिए होता है।

उत्तर रेलवे

सूचना

श्री हिमॉशु पुत्र स्व. श्री हरिओम, टिकट परीक्षक/हरिद्वार निवासी 513, मौहल्ला मकबरा, सब्जी मण्डी, कटघर एवं मकान सं. 93, देहरा खास, टी.एच.डी.सी. कालौनी, देहरादून को सर्तकता केस में मानक फार्म–5 सं. VC/Conf/Coml/23-2015 दिनांक 24.09.2015 इनके द्वारा दिनांक 21.12.2015 को प्राप्त किया गया था। निर्धारित अवधि में इनका जवाब ना आने पर केस में जॉच अधिकारी की नियुक्ति की गयी। जॉच अधिकारी द्वारा उल्लिखित पतों पर श्री हिमॉशु पुत्र स्व. श्री हरिओम, टिकट परीक्षक/हरिद्वार को जॉच में उपस्थित होने के लिए समय–समय पर पत्र पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किये गये लेकिन श्री हिमॉशु जॉच में उपस्थित नहीं हुए। अतः जॉच अधिकारी द्वारा एकपक्षीय जॉच शुरू कर जॉच रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी। जॉच रिपोर्ट की प्रति इनके उल्लिखित पतों पर प्रेषित की गयी जो अवितरित वापिस आ गयीं। इसके अतिरिक्त जांच रिपोर्ट मुख्य टिकट निरीक्षक/स्टेशन/हरिद्वार के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की गयी। इस नोटिस के द्वारा श्री हिमॉशु पुत्र स्व. श्री हरिओम, टिकट परीक्षक/हरिद्वार को सूचित किया जाता है कि यह 15 दिनों के अन्दर मण्डल कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी और यह माना जायेगा कि आप रेलवे में कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं।

(अजय कुमार)
मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद

297/19

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

गृह मंत्रालय को 1.03 लाख करोड़ का प्रावधान

नई दिल्ली। पहली बार गृह मंत्रालय के लिए बजटीय प्रावधान एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है और अगले वित्त वर्ष के लिए 1,03,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें सीमा संरचना को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।

मंत्रालय को 2019-20 के लिए 1,03,927 करोड़ देने का प्रस्ताव है जो 2018-19 में आवंटित 99,034 करोड़ रुपये से 4.9% अधिक है।

यूपी को मिलेंगे 1.51 लाख करोड़ रुपये

लखनऊ | हेमंत श्रीवास्तव

शुक्रवार को पेश केंद्र सरकार के अंतरिम बजट के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्रीय करों से प्रदेश के खजाने में एक लाख 51 हजार 682.70 करोड़ रुपये आएगा। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले यह धनराशि करीब 15 हजार करोड़ रुपये अधिक है। पिछली बार से ज्यादा धनराशि इसलिए दी गई क्योंकि लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र यूपी खासा अहम है।

केंद्रीय करों में कारपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी शामिल हैं। इन करों में सभी राज्यों का हिस्सा तय है।

इन करों के कुल योग में उत्तर प्रदेश का शेयर 17.959% है। यह हिस्सा देश के अन्य राज्यों से काफी अधिक है। यूपी के बाद सबसे बड़ा हिस्सा बिहार का 9.665% है। झारखंड की हिस्सेदारी 3.139, उत्तराखंड की 1.052 और हरियाणा की हिस्सेदारी 1.084 फीसदी है। बिहार को केंद्रीय करों से कुल 81 हजार 631.13 करोड़, झारखंड को 26 हजार 512.17 करोड़, उत्तराखंड को 8 हजार 885.26 करोड़ और हरियाणा को 9 हजार 155.52 करोड़ रुपये 2019-20 में केंद्रीय करों से मिलेगा।

17 फीसदी के लगभग है केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी

15 हजार करोड़ रुपये पिछले वित्तीय वर्ष से अब ज्यादा मिलेंगे उत्तर प्रदेश को

यूपी को सबसे बड़ा शेयर कारपोरेशन टैक्स से

उत्तर प्रदेश को कारपोरेशन टैक्स से 49 हजार 122.61 करोड़, इनकम टैक्स से 41 हजार 272.37करोड़, सेंट्रल जीएसटी से 45 हजार 906.71 करोड़, कस्टम की आय से 9 हजार 531.07 और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5 हजार 851.27 करोड़ मिलेंगे। केंद्र सहायतित योजनाओं में यूपी को करीब 60 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है।

एन एच पी सी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर–33, फरीदाबाद–121003
(CIN: L40101HR1975GOI032564)

एनएचपीसी की निविदाओं के संबंध में सूचना

भविष्य में एनएचपीसी की निविदा आमंत्रण सूचनायें (NITs) तथा निविदा प्रक्रिया संबंधी अन्य सूचनायें/जानकारियाँ/शुद्धि–पत्र आदि समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किये जायेंगे।

अतः सभी संबंधितों को यह सूचित किया जाता है कि भविष्य में एनएचपीसी लिमिटेड की निविदा सूचनायें एनएचपीसी (www.nhpcindia.com), केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण/ई–प्रापण सेवा प्रदाता के वेब पोर्टल (http://eprocure.gov.in) पर ही अपलोड की जायेंगी एवं प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेंगी। जीईएम (GeM) पोर्टल पर एनआईटी प्रकाशन आरम्भ होने के पश्चात सभी एनआईटी एवं शुद्धि–पत्र (Corrigendum) जीईएम (GeM) पोर्टल पर भी प्रकाशित किये जायेंगे।

सभी इच्छुक बोलीदाताओं से एनएचपीसी लिमिटेड की निविदाओं से संबंधित जानकारी हेतु नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट्स का अवलोकन करने का अनुरोध किया जाता है।

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की तरफ से उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद निम्नलिखित कार्य के लिए निर्धारित प्रपत्र पर खुली मुहरबन्द ई–निविदा **दो पैकेट सिस्टम** पर आमंत्रित करते हैं।

1	कार्य का नाम व स्थान	मुरादाबाद मण्डल के हरिद्वार–देहरादून खण्ड पर 18 कोच की गाडियों के संचालन हेतु सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में देहरादून यार्ड या हरिद्वार–देहरादून के बीच अन्य स्टेशनों पर रिटेनिंग दीवारों, प्लेटफॉर्म को बनाना और बढ़ाना, फर्श का कार्य, स्टेशनों के नाम का बोर्ड लगाना, पानी की सुविधा, बेंच शेड लगाना, वाशेबल अप्रान बनाना, पाइप लाइन, नाली, छोंटी बिल्डिंग मिट्टी की कटाई एवं भराई के शेष कार्य।
2	कार्य पूरा करने की अवधि	12 माह (a) 12 महीने में 6 माह तक (चेनेज 730 तक प्री ब्लॉक और ब्लॉक का कार्य)
3	कार्य की अनुमानित लागत	रु0 1575.00 लाख
4	बयाना राशि ओन लाइन जमा की जायेगी	रु0 937500.00
5	ई निविदा जमा करने व खुलने की तिथि	ई निविदा दिनांक 27.02.2019 को 11.30 बजे तक आईआरईपीएस की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड की जा सकती है। बोलीकर्ता ई–टेंडर में भाग ले सकते हैं। टेक्निकल कम कमर्शियल बिड़ दिनांक 27.02.2019 को 11.30 बजे तक ई–टेंडर अपलोडिंग बन्द होने के तुरन्त बाद खोली जायेगी। योग्य टेण्डरर की फाइनेंशियल बिड कार्यालय द्वारा दी गई दिनांक व समय की सूचना के आधार पर बाद में खोली जाएगी
6	निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र की बृहत जानकारी	ई–निविदा प्रपत्र को बृहत सूचना उत्तर रेलवे की वेबसाईट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। उपर्युक्त निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा करने के लिए आईआरपीईएस की वेबसाईट www.ireps.gov.in दिनांक 13.02.2019 से दिनांक 27.02.2019 को 11.30 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उपर्युक्त टेण्डर के सम्बन्ध में अन्य सभी नियम व शर्तें टेण्डर डोक्यूमेंट में दी गई है। निविदा सूचना की बृहत जानकारी कार्यालय में निविदा सूचना बोर्ड से की जा सकती है।

निविदा सूचना संख्या 1–डब्ल्यू/टेण्डर–262/उप मु0 अभि0/नि0/मुरादाबाद दिनांक 31.01.19 282/19

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

पांच लाख राज्यकर्मी आयकर से बाहर

बड़ी राहत

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

केंद्र सरकार ने आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर प्रदेश के 15 लाख राज्यकर्मियों को तोहफा दिया है। पांच लाख रुपये सालाना तक के वेतनभोगियों को कर के दायरे से बाहर किए जाने के फैसले से प्रदेश के पांच लाख से ज्यादा कर्मचारी सीधे टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

शुक्रवार को पेश केंद्रीय बजट में सरकार ने आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया। निवेश प्रपत्रों को लगाकर 6.5 लाख रुपये सालाना वेतन पाने वाले कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे। 50 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी करदाताओं को मिलेगा, यानी सात लाख रुपये सालाना आय तक के कर्मचारी आयकर से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं।

करदाता अधिकारी-कर्मचारियों को भी 12,500 की बचत : छूट सीमा बढ़ने से सबसे अधिक लाभ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, छह से सात साल की सेवा वाले प्राथमिक शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मी, पांचवां वेतनमान पाने वाले, सातवां वेतनमान पाने वाले जिनका ग्रेड-पे 2800 है वह करीब-करीब बाहर होंगे।

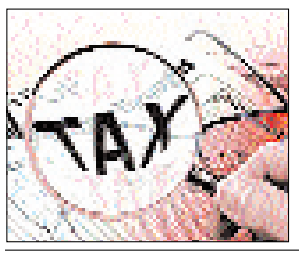

15,02,229- कुल कर्मचारी
8,52,229-राज्य कर्मचारी
5,50,000-शिक्षक
1,00,000-शिक्षणेत्तर कर्मचारी
12.500 रुपये टैक्स कम देना पड़ेगा अधिकारियों और कर्मचारियों को
● बचत के साथ सात लाख सालाना आय वाले भी टैक्स देने से बच जाएंगे

दस करोड़ कामगार 'श्रम-योगी मानधन' के दायरे में

नई दिल्ली। सरकार को उम्मीद है कि अगले पांच सालों में असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ कामगारों को 'प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन' योजना का लाभ मिलेगा। अंतरिम बजट में 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले कामगारों के लिए पेंशन योजना का ऐलान किया गया है। योजना को वर्तमान वर्ष से ही लागू किया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि देश के विकास में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी सरकार ने इन कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना आरंभ करने का प्रस्ताव दिया है।

आईआईटी छात्र छत से गिरा, मौत

हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद के एक छात्र की शुक्रवार को सात मंजिला हॉस्टल की छत से गिरकर मौत हो गई। अंतिम वर्ष का छात्र छत पर मोबाइल पर बात कर रहा था जिस वक्त वह नीचे गिर गया। तेलंगाना के सांगारेड्डी पुलिस ने बताया कि मृतक 22 वर्षीय अनिरुद्धया मेकेनिकल एरोस्पेस विषय से इंजीनियरिंग कर रहा था।

विश्वास-पहले ही दिन की दवा से वो भी फ्री

नज़र के चश्में व शुरू मोतियाबिन्द से छुटकारा

केवल नाईस रोशन आई ड्रॉप व आयुर्वेदिक दवाओं द्वारा

विश्व में प्रथम बार

Dr. Rais Ahmad D.N.Y.S., P.G.N.D.

नेत्र सुधार व व्यायाम केन्द्र का एकमात्र स्थान

समय- प्रातः 10 बजे से शाम 8 बजे तक

पता- निकट लाल बाग़ पुलिस चौकी, मुरादाबाद मो. 9897637753

यूपी सरकार को अवमानना नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है कि क्यों न उन पर अदालत के आदेश की अवहेलना करने का मामला चलाया जाए। मामला प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अधिकारियों के बच्चों को पढ़ाने के आदेश से संबंधित है।

जस्टिस एके सीकरी की पीठ ने यह नोटिस शुक्रवार को अधिवक्ता शिवकुमार त्रिपाठी की अवमानना याचिका पर जारी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश 2015 में दिया था। इस आदेश की वजह प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बुरी स्थिति होना था।

उत्तर रेलवे

उत्पाद/ब्रांडस को सूचीबद्ध करने के लिए सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक उ0रे0 मुरादाबाद प्रसिद्ध/लोकप्रिय ब्रांडो को सूचीबद्ध करने के लिए खादय वस्तुओं के प्रसिद्ध ब्रांडों के निर्माताओं से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित करते हैं। इच्छुक निर्माता जो अपने उत्पाद/ब्रांडस को मुरादाबाद मण्डल में उपयोग/सर्विस/सेल के लिए सूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) करवाना चाहते हैं वे शार्टलिस्टिंग के प्रथम चरण के लिए दिनांक 22.02.2019 को 14.00 बजे तक वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक उ0रे0 मुरादाबाद के कार्यालय कमरा नम्बर 18 में निर्धारित प्रपत्र पर अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि निर्धारित तिथि को राष्ट्र अवकाश घोषित किया जाता है तो आवेदन अगले कार्यदिवस में आमंत्रित किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार द्वितीय चरण की शॉर्टलिस्टिंग के रूप में किया जायेगा। शॉर्टलिस्टिंग की अवधि 02 वर्ष की होगी यदि इच्छुक व्यक्ति पुनः अपने उत्पाद/ब्रांडस को शॉटलिस्ट कराना चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित प्रारूप में आवेदन 02 वर्ष की समाप्ति से पहले देना होगा। उनके आवेदन पर विचार पूरक शॉटलिस्टिंग के रूप में किया जायेगा। शॉर्टलिस्ट एक सतत् प्रक्रिया है इच्छुक फर्म अपने उत्पाद/ब्रांडस को शॉर्टलिस्ट कराने के लिए सूचना में उल्लेखित निर्धारित तिथि के बाद भी आवेदन कर सकते हैं। यदपि उस उत्पाद की शॉर्टलिस्टिंग की वैधता प्रारम्भिक शॉर्टलिस्टिंग की वैद्यता के समान होगी। आवेदन–पत्र को वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, मुरादाबाद कार्यालय कमरा नम्बर 18 से किसी भी कार्यदिवस में समय 10.00 से 17.00 बजे तक रुपये 11,800/– जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन–पत्र की राशि नकद रूप में मण्डल रोकडिया के पास जमा होगी अथवा डिमांड ड्राफ्ट वरिष्ठ मण्डल वित्त प्रबन्धक, उ0रे0 मुरादाबाद के पक्ष में देय होगी। आवेदन पत्र उत्तर रेलवे की वेबसाईट www.nr.indianrailways.gov.in से भी डाऊनलोड किया जा सकता है। आवेदन–पत्र जमा करते समय 11,800/– का डिमांड ड्राफ्ट वरिष्ठ मण्डल वित्त प्रबन्धक, उ0रे0 मुरादाबाद के पक्ष में देय हो को साथ में आवेदन की राशि के रूप में नत्थी करना होगा। आवेदित राशि को वापस नहीं किया जायेगा।

S. No.	Item	S. No.	Item
1	Aerated Drink in glass, Pet bottles and Cans	16	Tomato Ketchup
2	Fruit Juice in Tetra Pack, Glass/Pet Bottles	17	Dairy creamer in Sachet
3	Fruit Drink in Tetra Pack, Glass/Pet Bottles	18	Butter in Blister pack/foil
4	Flavored Milk/Milk products in Tetra Pack, Glass/Pet Bottles	19	Pickle - in blister pack
5	Namkeen	20	Fruit Jam in blister pack
6	Ice Cream	21	Salt Sachet
7	Biscuits	22	Pepper Sachet
8	Cakes	23	Dry Fruits all variety in small packs
9	Chips	24	Curd in Sealed cups
10	Coffee Powder (Bulk pack in packets & Sachet)	25	Spices - Haldi (Turmeric), Dhania (Coriander Powder) Mirch(Red ChilliPwd), Garam Masala (Hot Spice) etc. (Must comply with AGMARK standards)
11	Tea (Bulk pack in packets & Tea Bags)	26	Refined Oil
12	Confectionery including Toffee and Chocolate	27	Basmati Rice
13	Sweets - packed in sealed boxes & Cans	28	Atta (Wheat Flour)
14	Packaged Drinking Water	29	Bread (Slice)
15	Sugar Sachet		

295/19

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

Jubilant Life Sciences Limited

JUBILANT LIFESCIENCES

Regd. Off.: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN : L24116UP1978PLC004624
Website: www.jubl.com | Email: investors@jubl.com | Tel: +91-5924-267200

Extract of Consolidated Unaudited Results for the Quarter and Nine months ended 31 December 2018

(₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
	31 December (Unaudited) 2018	30 September (Unaudited) 2018	31 December (Unaudited) 2017	31 December (Unaudited) 2018	31 December (Unaudited) 2017	31 March (Audited) 2018
Total revenue from operations	237710	226949	206776	672524	530585	755781
Net Profit before tax, exceptional and extraordinary items	35561	30181	26118	94379	63252	85908
Net Profit before tax (after exceptional and extraordinary items)	35561	30181	26118	94379	63252	85908
Net Profit after tax, exceptional and extraordinary items	26752	20977	21284	67766	48202	63442
Total comprehensive income after tax (comprising profit/(loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	8728	35071	17192	65201	56073	69981
Earnings per share of ₹ 1 each before and after extraordinary items (Not annualized)						
Basic (₹)	16.74	13.50	13.64	43.24	31.31	41.25
Diluted (₹)	16.74	13.50	13.64	43.24	31.31	41.25
Equity share capital	1558	1558	1558	1558	1558	1558
Reserves (excluding revaluation reserve)						407095

1. The Company has opted to publish consolidated results for the year ending 31 March 2019. The standalone unaudited results are available under Investors section of our website at www.jubl.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com. Key standalone financial information of the Company is as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
	31 December (Unaudited) 2018	30 September (Unaudited) 2018	31 December (Unaudited) 2017	31 December (Unaudited) 2018	31 December (Unaudited) 2017	31 March (Audited) 2018
Total revenue from operations	85958	88727	93383	257349	237858	334301
Profit before tax	5238	9121	14323	17704	24891	36769
Net profit after tax	3670	7961	9788	14019	17705	26344

2. Sales/Income from operations (included in total revenue from operations) for the nine months ended 31 December 2018 is not comparable with corresponding previous period since the same is net of Goods and Services Tax (GST) whereas excise duty formed part of expenses till 30 June 2017.
3. The above consolidated unaudited results were, subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 1 February 2019.
4. The above is an extract of the detailed format of the consolidated unaudited results for the quarter and nine months ended 31 December 2018 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format for the consolidated unaudited results for the quarter and nine months ended 31 December 2018 is available under Investors section of our website at www.jubl.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Place : Noida
Date : 1 February 2019

For **Jubilant Life Sciences Limited**
Hari S. Bhartia
Co-Chairman & Managing Director